

१९८२५ अग्री बैठा  
२५/१८/१८

संख्या— 3267 /आठ-१-१६-८०विविध / १०

प्रेषक,

पनधारी यादव,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |   |  |
|---|--|
| १. आवास आयुक्त,<br>उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद<br>लखनऊ।  | ३. अध्यक्ष,<br>समस्त विशेष क्षेत्र विकास<br>प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। |
| २. उपाध्यक्ष,<br>समस्त विकास प्राधिकरण<br>उत्तर प्रदेश। | ४. नियन्त्रक प्राधिकारी,<br>समस्त विनियमित क्षेत्र<br>उत्तर प्रदेश।  |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक: २४ अक्टूबर, 2016

विषय : सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नयी आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3188/८-१-१३-८०विविध / २०१०, दिनांक-०५ दिसम्बर, २०१३ का कृपया संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्गत की गई है। प्रश्नगत नीति के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभिन्न 'स्टेकहोल्डर्स' यथा - आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों व निजी विकासकर्ताओं से शासन को सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर शासन व आवास बन्धु में 'स्टेकहोल्डर्स' के साथ हुए विचार-विमर्श के क्रम में उक्त नीति के कतिपय प्राविधानों को पुनरीक्षित/ संशोधित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

२- अतएव सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3188/८-१-१३-८०विविध / २०१०, दिनांक-०५ दिसम्बर, २०१३ के अधीन निर्गत नीति के कतिपय प्राविधानों के पुनरीक्षण की अपेक्षाओं तथा इसके कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:-

शासनादेश संख्या - 3188/

क्र.सं. आठ-१-१३-८०विविध / १० दिनांक

०५.१२.२०१३ का प्राविधान

संशोधन/स्पष्टीकरण

- |   |
|---|
| १. प्रस्तर-२(i) आय सीमा का भारत सरकार/हड्को के सर्कुलर निर्धारण - भारत सरकार/ हड्को संख्या-८८/डी.एफ/ २०१५, दिनांक द्वारा दिनांक १४.१२.१२ से पुनरीक्षित ०५.११.२०१५ द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल. मानकों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. आई.जी. के परिवारों की वार्षिक आय परिवार की वार्षिक आय रु. १.० का पुनरीक्षण किया जा चुका है, लाख तक तथा एल.आई.जी. जिसके क्रम में उक्त आय वर्गों की |
|---|

परिवार की वार्षिक आय पुनरीक्षित आय निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

आय वर्ग	वार्षिक आय
• ई.डब्ल्यूएस.	रु. 3.0 लाख तक
• एल.आई.जी.	रु. 3.0 लाख से अधिक एवं रु. 6.0 लाख तक

भविष्य में हड्डों/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा उक्त मानक पुनरीक्षित करने पर उन्हें यथावत् लागू किया जाएगा।

## 2. प्रस्तर-2(ii) 'बिल्ट-अप एरिया' के मानक

ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए युप हाउसिंग निर्माण में आवासीय इकाईयों के लिए 'बिल्ट-अप एरिया' के मानक निम्नवत् होंगे:-

आय वर्ग	बिल्ट-अप एरिया (व.मी.)
• ई.डब्ल्यूएस.	25-35
• एल.आई.जी.	35 से अधिक 48 तक

ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. परिवारों की वार्षिक आय व भवनों की सीलिंग कॉस्ट पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप तथा इन आय वर्गों के परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप निवास-योग्य समुचित तल क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिल्ट-अप एरिया के मानक निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं:-

आय वर्ग	बिल्ट-अप एरिया (व.मी.)
• ई.डब्ल्यूएस.	35-40
• एल.आई.जी.	41-48

### टिप्पणी:-

ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. भवनों में कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर होगा और उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी।

## 3. प्रस्तर-2 (iii) (II) योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. भवनों का प्रतिशत

स्पष्टीकरण—'शोल्टर फीस' का तात्पर्य ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय फीस से है, जिसकी गणना किसी योजना में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की कुल संख्या के सापेक्ष ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. के 'बिल्ट-अप एरिया' क्रमशः 25 वर्ग मीटर मी. एवं 35 वर्ग

स्पष्टीकरण—'शोल्टर फीस' का तात्पर्य ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय फीस से है, जिसकी गणना किसी योजना में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की कुल संख्या के सापेक्ष ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. के 'बिल्ट-अप एरिया' क्रमशः 35 वर्ग मीटर मी. एवं 41 वर्ग

मी. के समतुल्य भूमि हेतु सम्बन्धित योजना की भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार की जाएगी:-

[आवासीय इकाईयों की कुल संख्या X  
(25+35)×वर्तमान सर्किल रेट का आधा]

10

मीटर के समतुल्य भूमि हेतु सम्बन्धित योजना की भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार की जाएगी:-

[आवासीय इकाईयों की कुल संख्या X  
(35+41)×वर्तमान सर्किल रेट का आधा]

10

4.0 हेल्पटेर से कम क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में शेल्टर फीस का भुगतान करने वाले विकासकर्ताओं को ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के कुल तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ.ए.आर., जो बेसिक एफ.ए.आर.(+)क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, अनुमत्य होगा, जिसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से आवासीय इकाईयां अनुमत्य होंगी।

4. प्रस्तर-2(iii) (III) 'शेल्टर फीस'  
'शेल्टर फीस' से प्राप्त होने वाली धनराशि विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी। जिसे केवल ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग के लिए भूमि जुटाव, भूमि विकास एवं भवन निर्माण और उससे सम्बन्धित कार्यों के उपयोग में ही लाया जाएगा।

'शेल्टर फीस' के उपयोग में निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा:-

- (I) शेल्टर फीस के रूप में जमा धनराशि का उपयोग केवल ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग के लिए भूमि क्रय/जुटाव, अवस्थापना विकास तथा उक्त आय वर्गों के भवनों के 'सुपरस्ट्रक्चर' निर्माण से सम्बन्धित किसी भी कार्य अथवा समस्त कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
- (II) शेल्टर फीस के उपयोग हेतु प्राधिकरण/परिषद बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (III) शेल्टर फीस के रूप में जमा धनराशि का उपयोग यथासम्भव प्राधिकरण/परिषद की उसी योजना में किया जाएगा, परन्तु उसी योजना में भूमि उपलब्ध न होने अथवा मानकों के अनुसार उस योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का संतुप्तीकरण होने की दशा में उसी नगर में अच्य उपयुक्त स्थल पर

उपयोग किया जा सकेगा।

(IV) विकास प्राधिकरण/परिषद द्वारा शॉल्टर फीस के खाते में जमा धनराशि का 'डायवर्जन' अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं किया जाएगा तथा इसके उपयोग का लेखा—जोखा रखा जाएगा और प्राधिकरण/परिषद बोर्ड की आपामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

5. प्रस्तर-2 (iv) आवासीय इकाईयों की 'सीलिंग कॉस्ट'

हड्को द्वारा दिनांक 14.12.2012 से पुनरीक्षित मानकों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः रु. 3.25 लाख तथा रु. 7.00 लाख इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित किया जाता है कि उक्त सीलिंग कॉस्ट ई.डब्ल्यू.एस. भवन के 25 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' तथा एल.आई.जी. भवन के 35 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' के लिए प्रभावी होगी। 'बिल्ट-अप एरिया' उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक 'बिल्ट-अप एरिया' के सापेक्ष 'प्रो-राटा' (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कॉस्ट अंकित की जा सकती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कॉस्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। भविष्य में हड्को/भारत सरकार द्वारा 'सीलिंग कॉस्ट' पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे। हड्को/भारत सरकार द्वारा 'सीलिंग कॉस्ट' में पुनरीक्षण न करने पर प्रत्येक वर्ष 'कॉस्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

6. प्रस्तर-2(iv) (अ) भवन निर्माण हेतु 'परफार्मेंस गारन्टी'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों

भारत सरकार/हड्को के सर्कुलर संख्या— 88/डी.एफ./2015, दिनांक 05.11.15 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवनों की सीलिंग कॉस्ट का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके क्रम में उक्त आय वर्गों के भवनों की पुनरीक्षित सीलिंग कॉस्ट निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

आय वर्ग	सीलिंग कॉस्ट
ई.डब्ल्यू.एस.	रु. 4.50 लाख
एल.आई.जी.	रु. 9.0 लाख

टिप्पणी:-

ई.डब्ल्यू.एस. भवन के लिए उक्त सीलिंग कॉस्ट 35.0 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' तथा एल.आई.जी. भवन के लिए 41.0 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' के लिए प्रभावी होगी। 'बिल्ट-अप एरिया' उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक 'बिल्ट-अप एरिया' के सापेक्ष 'प्रो-राटा' (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कॉस्ट अंकित की जा सकेगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कॉस्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। भविष्य में हड्को/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा 'सीलिंग कॉस्ट' के मानक पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे।

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण के सापेक्ष देय बैंक गारन्टी के

के सापेक्ष देय बैंक गारन्टी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि, जो विक्रय-योग्य हो, प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी जा सकती है। यह भूमि आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक/गिरवी रखी जाने वाली भूमि के अतिरिक्त होगी। बंधक/गिरवी रखी जाने वाली भूमि को ले-आउट के चिन्हित करते हुए 'मोर्टगेज डीड' निष्पादित किरणी अनिवार्य होगी, जिसे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवमुक्त किया जाएगा।

- 3— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि, शासनादेश संख्या-3188/आठ-1-13-80विविध/2010, दिनांक-05.12.2013 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।
- 4— कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पन्धारी यादव  
सचिव

संख्या : 3267(1) / आठ-1-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास एवं निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की देबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समर्त अनुभाग।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)  
विशेष सचिव।